



## मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र० सरकार का उपकर)

प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ

फोन कार्यालय 0522-2208737, 2207065

फैक्स नं० 0522-2208769

E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

सं० २२२ प्रनि / मविविनिलि / कैम्प

दिनांक ४।०९।२०१४

### कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि 33 केवी भूमिगत केबिलों का कार्य बिना तकनीकी औचित्यता प्रमाणित किये ही कराया गया है। अतः एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि भविष्य में 33 केवी भूमिगत केबिल के कार्यों में निम्नानुसार प्रविधान किया जायेगा:-

- (क) मेन लाइन - डबल केबिल
- (ख) लिंक लाइन - सिंगल केबिल

भविष्य में किसी स्तर की जाँच या समीक्षा में यह पाया जाता है कि उपरोक्त आदेश के निर्गमन के पश्चात् किसी लिंक लाइन में डबल केबिल डाला गया है तो उस केबिल का मूल्य तथा अन्य खर्च संबंधित कर्मचारी व अधिकारी में आनुपातिक रूप से मिसलेनिएस एडवांस डालकर उसके वेतन से वसूली कर ली जायेगी।

ए०पी० मिश्र  
प्रबन्ध निदेशक

सं० २२२ प्रनि / मविविनिलि / कैम्प तददिनांक ४।९।२०१४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
२. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
३. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
४. समस्त अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।

*ever best*  
(अनिल पाण्डेय)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफीसर

सीसी:-

निदेशक (तकनीकी) मध्यांचल निगम को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विगत ६ माह में स्वीकृत किये गये विभिन्न 33 केवी कार्यों को अपने स्तर से पुनः परीक्षण करा लें ताकि कारपोरेशन की क्षति से बचा जा सके।